

यूपी बजट 2024-25: मुख्य बढि और प्रमुख घोषणाएँ

चर्चा में क्यों?

5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिये बजट पेश किया।

मुख्य बढि:

- कुल व्यय 7,36,437.71 करोड़ रुपए अनुमानित है।
- कुल व्यय में से 5,32,655.33 करोड़ रुपए राजस्व खाते के लिये और 2,03,782.38 करोड़ रुपए पूंजी खाते के लिये आवंटित किये गए हैं।
- समेकित नधिकी प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के बाद बजट में 15,103.89 करोड़ रुपए के घाटे का अनुमान है।
- कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिये तीन योजनाएँ:
 - राज्य कृषि विकास योजना में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा।
 - विश्व बैंक सहायतति यूपी एग्रीस योजना के लिये 200 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं।
 - प्रखंडों और पंचायतों में स्वचालित मौसम स्टेशन-स्वचालित वर्षामापी यंत्र की स्थापना के लिये 60 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं।
- नरिश्रति महिला पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को देय राशि 500 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रति माह करने की घोषणा की गई।
 - वर्ष 2023-2024 की तीसरी तमिही तक कुल 31,28,000 नरिश्रति महिलाओं को इस योजना से लाभ हुआ है।
- महिला कृषि सशक्तीकरण परियोजना का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 200 उत्पादक समूहों का गठन करके तकनीकी सहायता प्रदान करना है।
- वर्ष 2023-2024 के लिये राज्य का बजट 6.90 लाख करोड़ रुपए था जिसमें नई योजनाओं के लिये 32,721 करोड़ रुपए का आवंटन शामिल था।

अनुच्छेद 112

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय वविरण (AFS) कहा जाता है।
- यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वविरण है (जो चालू वर्ष के 1 अप्रैल को शुरू होता है तथा अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है)।

नरिश्रति महिला पेंशन योजना

- यह एक राज्य योजना है जिसके तहत 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की नरिश्रति या परित्यक्त महिलाओं और वधवाओं को योजना के नियमों में नरिधारित पात्रता मानदंडों के अनुसार पेंशन दी जाती है।
- योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जो अपने संसाधनों से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं और उन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।

